



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272302
CG-DL-E-07052026-272302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2171]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2261(अ).— केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम, 2012 (2013 का पंजाब अधिनियम संख्या 2) (जिसे इसके पश्चात 'मूल अधिनियम' कहा गया है) का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम, 2012 (चंडीगढ़ तक विस्तारित) है।
2. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर इस प्रकार विस्तारित पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, जब तक कि इसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो :-

(क) "राज्य", "पंजाब", "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

- (ख) "राज्य सरकार", "सरकार", "पंजाब सरकार गृह कार्य और न्याय विभाग " शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।
3. मूल अधिनियम में, धारा 1 की उप-धारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।
4. मूल अधिनियम में, धारा 2 में,—
- (क) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और पुनः क्रमांकित खंड से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- ‘(क) "प्रशासक" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;
- (ख) इस प्रकार पुनः क्रमांकित खंड (कक) में, "धारा 415 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 416 में विनिर्दिष्ट प्रतिरूपण द्वारा छल शामिल है" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 318 और भारतीय न्याय संहिता, 2023, 2023 का 45" की धारा 318 में विनिर्दिष्ट प्रतिरूपण द्वारा छल शामिल है" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. मूल अधिनियम की धारा 18 में, उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी:—
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि, उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा; किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. मूल अधिनियम में, धारा 22 की उप-धारा (2) में, "विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "संसद" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. यू. -11015/2/2025-यू टी एल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

भाग - I
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
पंजाब
अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2013

संख्या 2-विधि./2013.— पंजाब राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को 4 जनवरी, 2013 को पंजाब के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012

(पंजाब अधिनियम संख्या 2 सन् 2013)

यात्रा अभिकर्ता की वृत्ति का उनके अवैध और कपटपूर्ण क्रियाकलापों पर और पंजाब राज्य में संगठित मानव तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के कदाचारपूर्ण क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने और रोक लगाने की दृष्टि से विनियमन के लिए और उससे सम्बन्ध या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में पंजाब राज्य की विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 है।(2) संक्षिप्त नाम और यह उस तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। प्रारंभ
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “धोखाधड़ी” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (केंद्रीय अधिनियम 45 सन् 1860) की धारा 415 में निर्दिष्ट है और इसमें धारा 416 में निर्दिष्ट प्रतिरूपण द्वारा की गई धोखाधड़ी भी सम्मिलित होगी;
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो;
- (ग) “आश्रित” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रवासी से संबंधित हो और उस परिभाषाएं प्रवासी पर आश्रित भी हो;
- (घ) “यन्त्र” से अभिप्राय कोई भी मशीनरी या यन्त्र जिसका उपयोग किसी दस्तावेज़, पासपोर्ट, वीज़ा, प्रवेश परमिट या यात्रा टिकट को जाली बनाने या नकली बनाने के उद्देश्य से किया जाए;
- (ङ) “दस्तावेज़” से किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या इनमें से एक से अधिक माध्यमों से व्यक्त या वर्णित कोई भी विषय अभिप्रेत है, जिसका उपयोग उस मामले के साक्ष्य के रूप में किया जाना है या किया जा सकता है;

- (च) “प्रवासी” से भारत का कोई ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जो प्रवास करने का इच्छुक हो या प्रवास करता हो या कर चुका हो, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे,—
- (i) किसी प्रवासी का आश्रित, चाहे ऐसा आश्रित उस प्रवासी के साथ जाए या बाद में उस देश में उससे जुड़ने के उद्देश्य से जाए, जहाँ वह प्रवासी विधिपूर्वक प्रवास कर चुका हो; और
- (ii) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक भारत के बाहर निवास किया हो या उसका जीवनसाथी या संतान;
- (छ) “मानव तस्करी” से भारत से व्यक्तियों को अवैध रूप से बाहर भेजना, निर्यात करना या परिवहन करना अथवा इस हेतु किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करना अभिप्रेत है, जिसमें उनसे या उनके माता-पिता, संबंधियों या उनके कल्याण में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से धन प्राप्त कर, प्रलोभन देकर, बहकाकर, धोखा देकर या छल करके यह कृत्य किया जाए;
- (ज) “अवैध रूप से अर्जित संपत्ति” से ऐसी कोई चल या अचल संपत्ति अभिप्रेत है, जिसे किसी ट्रेवल एजेंट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अवैध साधनों से अर्जित किया गया हो;
- (झ) “लाइसेंस” से इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लाइसेंस है;
- (ञ) “लाइसेंसधारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान की गई हो;
- (ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) “राज्य सरकार” से गृह कार्य एवं न्याय विभाग में पंजाब राज्य की सरकार अभिप्रेत है; और
- (ड) “ट्रैवल एजेंट” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसा पेशा करता है जिसमें लोगों को विदेश भेजने से संबंधित मामलों को व्यवस्थित करना, मैनेज करना या संचालित करना शामिल है या जो विदेश भेजे गए व्यक्तियों के मामलों से उत्पन्न होते हैं, सिवाय उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केंद्रीय अधिनियम 31) के तहत शासित होने वाले भर्ती के व्यवसाय को छोड़कर, और इसमें निम्नलिखित में से सभी या कोई भी शामिल होगा, अर्थात्:-
- (क) पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने के लिए या उससे संबंधित आवेदनों को संसाधित (प्रोसेस) करना; या

- (ख) किसी कंपनी, फर्म या इस प्रकार के निकायों या संस्थाओं के लिए एजेंट के रूप में निम्नलिखित कार्य करना-
- (i) हवाई यात्रा टिकट बेचना; और
- (ii) भूमि या समुद्र के द्वारा विदेश यात्रा के लिए परिवहन के साधन प्रदान करना; या
- (ग) विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित के लिए परामर्श वीजा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करना-
- (i) शिक्षा प्राप्त करने;
- (ii) पर्यटक या यात्री के रूप में आनंद यात्रा करने;
- (iii) चिकित्सा उपचार प्राप्त करने;
- (iv) सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीत कार्यक्रमों की व्यवस्था करने;
- (v) धर्म का प्रचार या प्रसार करने; या
- (vi) खेल टूर्नामेंटों या कार्यक्रमों में भाग लेने; या
- (घ) कोई विज्ञापन या प्रचार देना, जो प्रकाशन, प्रसारण, संचार या इंटरनेट के माध्यम से विदेश यात्रा के किसी भी क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो; या
- (ङ) उत्प्रवास को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार आयोजित करना या व्याख्यान देना या ऐसे उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान करना; या
- (च) उत्प्रवास के उद्देश्य से वैवाहिक गठबंधन और दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करना; या
- (छ) किसी भी उद्देश्य के लिए भारत से विदेश में किसी भी व्यक्ति की यात्रा की व्यवस्था करना; या
- (ज) खंड (क) से (छ) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए फ्रीलांसिंग प्रकार के टाउट (दलाल) के रूप में कार्य करना।

3. कोई भी व्यक्ति ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता।

ट्रैवल एजेंट की वृत्ति का विनियमन

4. (1) कोई व्यक्ति, जो ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने की इच्छा रखता है या जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर पहले से ही इस व्यवसाय में है, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे तरीके से, ऐसे शुल्क के साथ और ऐसे दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा जैसा कि निर्धारित है।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि उप-धारा (1) के तहत किया गया आवेदन नियमानुसार है, तो वह ऐसी नियमों और शर्तों के तहत और ऐसे प्रारूप में लाइसेंस जारी करेगा जैसा कि निर्धारित है:

परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदन में दिए गए विवरण गलत हैं या अधूरे हैं या लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक कोई साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो वह आवश्यक जांच के बाद और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

लाइसेंस

परंतु यह भी कि वह व्यक्ति, जिसका लाइसेंस देने का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के बाद लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दूसरा आवेदन कर सकता है।

- (3) उप-धारा (2) के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके आवेदन में दिए गए विवरण और दस्तावेजों का पुलिस द्वारा सत्यापन नहीं कर लिया जाता।
- (4) लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे उक्त अवधि के लिए ऐसे तरीके से नवीनीकृत (रिन्यू) किया जा सकेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

5. यदि कोई व्यक्ति, जिसने किसी जिले में एक स्थान पर ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने के लिए इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है, बाद में किसी अन्य जिले में स्थित किसी स्थान पर अन्य शाखा या कार्यालय खोलता है, तो उसे ऐसी अन्य शाखा या कार्यालय के लिए नया लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, वह सक्षम प्राधिकारी और संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां नई शाखा या कार्यालय खोला गया है, तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा और ऐसी जानकारी देने के लिए पावती प्राप्त करेगा।

शाखाओं या कार्यालयों का पृष्ठांकन

6. (1) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या अन्यथा इस जानकारी पर कि लाइसेंसधारी-

(क) दिवालिया या बैंकक्रूट हो गया है; या

(ख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे कार्य में लिप्त या दुष्प्रेरित किया है, जो भारत के हित या उसकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है; या

- (ग) किसी आपराधिक अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है; या
- (घ) किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपाकर लाइसेंस प्राप्त या नवीनीकृत करवाया है; या
- (ङ) लाइसेंस की किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है; या
- (च) किसी अन्य व्यक्ति को अपने परिसर से या अपने नाम के तहत ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने की अनुमति दी है; या
- (छ) तीन महीने की निरंतर अवधि के लिए ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने में विफल रहा है,

तो लाइसेंस रद्द कर सकता है:

लाइसेंस का
रद्दकरण या
निलंबन

परंतु लाइसेंस रद्द करने से पहले लाइसेंसधारी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उसे नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण- खंड (च) के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति 'परिसर' से कोई भी इमारत, तंबू, जहाज, भूमि, संरचना, दुकान, बूथ, वाहन, नाव या बेड़ा अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मानव आवास या मनुष्य द्वारा किसी अन्य गतिविधि के लिए किया जाता है।

- (2) यदि लाइसेंस उप-धारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित कारण से रद्द कर दिया जाता है और दोषसिद्धि को अपीलीय अदालत द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी *स्वप्रेरणा* से या इस संबंध में किए गए आवेदन पर लाइसेंसधारी को लाइसेंस बहाल कर सकता है।
- (3) जहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, संतुष्ट है कि उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी आधार पर किसी लाइसेंस को रद्द करने का प्रश्न उसके पास विचार के लिए लंबित है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, लाइसेंस के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है जो नब्बे दिनों से अधिक न हो, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए। लाइसेंसधारी को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कारण बताना आवश्यक होगी कि लाइसेंस के निलंबन की अवधि को तब तक क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द करने के प्रश्न पर निर्णय नहीं ले लिया जाता।
- (4) लाइसेंस को रद्द करने या निलंबित करने का आदेश पारित करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी उत्प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।

- (5) इस अधिनियम के तहत अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, जहां किसी व्यक्ति को जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने से वंचित कर दिया जाएगा।
7. यदि कोई ट्रेवल एजेंट अपने व्यवसाय के संबंध में विज्ञापन या प्रचार देना चाहता है या उसके संबंध में सेमिनार आयोजित करना चाहता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में, उसका पूरा विवरण या सामग्री देते हुए सूचित करना होगा। सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने का ट्रेवल एजेंट का दायित्व
8. (1) एक ट्रेवल एजेंट अपना लाइसेंस जारी होने के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी को दो महीने का नोटिस देकर सरेंडर कर सकता है और नोटिस अवधि की समाप्ति पर, लाइसेंस को रद्द माना जाएगा।
- (2) उप-धारा (2) के तहत लाइसेंस रद्द होने के तथ्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित इलाके में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
- (3) लाइसेंस रद्द होने पर, ट्रेवल एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन जमा करते समय जमा किए गए शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा। लाइसेंस का अभ्यर्षण
- (4) इस धारा के तहत लाइसेंस रद्द होने के बावजूद, ट्रेवल एजेंट लाइसेंस रद्द होने की तारीख से पहले अपने कृत्यों, चूक और कमीशन के लिए उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
9. कोई भी व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस देने के आवेदन को खारिज करने या लाइसेंस की किसी भी शर्त या नियम का पालन करने या लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने या नवीनीकृत करने से इनकार करने या किसी अन्य आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव, गृह मामले और न्याय विभाग को ऐसी अवधि के भीतर अपील कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील
10. यदि कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे न हो या राजपत्रित पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के रैंक से नीचे न हो या राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी के पास अपने व्यक्तिगत ज्ञान से या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में दर्ज की गई जानकारी पर यह विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेज जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य लेख, जो ऐसे अपराध के किए जाने का सबूत प्रस्तुत कर सकता है, किसी इमारत, वाहन या स्थान में रखा या छिपाया गया है, तो वह किसी भी समय-

- (क) किसी भी ऐसी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है; तलाशी लेने, वाहन या स्थान की जब्ती और व्यक्तियों की गिरफ्तारी की शक्ति
- (ख) किसी भी घर के दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है और किसी भी प्रतिरोध के मामले में ऐसे प्रवेश के लिए किसी भी बाधा को हटा सकता है;
- (ग) किसी भी दस्तावेज या पदार्थ या सामग्री को जब्त कर सकता है जिसका उपयोग किसी दस्तावेज के निर्माण के लिए किया गया है जिसे वह इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी मानता है और कोई अन्य दस्तावेज या लेख जिसे वह मानता है कि यह इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का सबूत प्रस्तुत कर सकता है; और
- (घ) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और तलाशी ले सकता है, और यदि वह उचित समझे, तो गिरफ्तार कर सकता है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है।
11. एक पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उपाधीक्षक के रैंक से नीचे न हो, जांच करेगा, जिसे वह किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा करेगा। पुलिस अधीक्षक के रैंक का पुलिस अधिकारी जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच का सत्यापन करेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से कम का न होने वाला कोई अधिकारी इस अधिनियम के तहत की जाने वाली सभी जांचों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अन्वेषण की शक्ति
12. इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई में, अदालत यह तय करेगा कि कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, जब्त किए जाने योग्य है या नहीं और यदि वह निर्णय लेता है कि संपत्ति इतनी उत्तरदायी है, तो वह निर्धारित तरीके से उस संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है। अधिहरण करने की प्रक्रिया
13. (1) जो कोई इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या मानव तस्करी/मानव तस्करी में सहायता हेतु किसी उपकरण को रखता या उसका उपयोग करता है, उसे कम से कम तीन वर्ष का कारावास, जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- (2) जो कोई इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है, या ऐसे अपराध को करवाने का कारण बनता है, और उस प्रयास के दौरान अपराध के घटित होने की दिशा में कोई कार्य करता है, वह उसी अपराध के लिए इस अधिनियम में निर्धारित दंड का भागी होगा।
- (3) जो कोई इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है, और यदि ऐसे दुष्प्रेरण या शास्तियां

आपराधिक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप वह अपराध घटित नहीं होता है, तो उसे उस अपराध के लिए इस अधिनियम में विहित अधिकतम दंड अवधि के एक-चौथाई तक के कारावास तथा निर्धारित जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

- (4) जो कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत दोषसिद्ध होने के बाद उसी प्रावधान के अंतर्गत पुनः दोषसिद्ध होता है, तो उसे दूसरी बार और प्रत्येक बाद की बार उस अपराध के लिए निर्धारित दोगुने दंड से दंडित किया जाएगा।

14. धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित दंड के अतिरिक्त, न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को हुई क्षति के लिए उचित प्रतिकर (मुआवज़ा) प्रदान करने का आदेश भी दे सकता है, जिसे संबंधित प्रतिकर प्रदान करना ट्रेवल एजेंट द्वारा अदा किया जाएगा।

15. (1) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो उस अपराध के समय कंपनी के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी और प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, साथ ही स्वयं कंपनी, अपराध का दोषी माने जाएँगे और उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने अपराध को रोकने के लिए समुचित सावधानी बरती थी, तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत दंड का भागीदार नहीं माना जाएगा।

- (2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति, मिलीभगत या लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उसे दंडित किया जाएगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “कंपनी” से कोई संपत्ति निकाय अभिप्रेत है तथा इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी सम्मिलित है; और
- (ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म के साझेदार अभिप्रेत है।

16. जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसी कोई सूचना देता है, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि वह असत्य है, और ऐसा इस आशय से करता है, या यह जानते हुए करता है कि उससे यह संभावना है कि वह लोक सेवक—

- (क) उस सूचना के आधार पर ऐसा कोई कार्य करे या न करे, जो वास्तविक तथ्यों की जानकारी होने पर उसे नहीं करना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था; या
- (ख) अपनी विधिमान्य शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने या परेशान करने के लिए करे; तो ऐसे व्यक्ति को छह माह तक के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

मिथ्या सूचना, जिससे लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए करे

17. इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दिया गया दंड, उस अपराध के संबंध में इस अधिनियम के तहत पहले से की गई या भविष्य में की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई को प्रभावित किए बिना होगा।
- दंड का अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव न होना
18. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
- (2) उपधारा (1) में निहित सामान्य शक्ति को प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्—
- (क) धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क तथा आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करना;
- (ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत लाइसेंस का प्रारूप निर्धारित करना;
- (ग) धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करना;
- (घ) धारा 12 के अंतर्गत संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया निर्धारित करना; तथा
- (ङ) कोई अन्य विषय, जो निर्धारित किया जाना आवश्यक हो या किया जा सके।
- नियम बनाने की शक्ति
- (3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जब राज्य विधानमंडल का सदन सत्र में हो, उसके समक्ष कुल दस दिनों की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह अवधि एक ही सत्र में या दो अथवा अधिक क्रमागत सत्रों में पूरी की जा सकती है। यदि उस सत्र की समाप्ति से पूर्व, या उपर्युक्त क्रमागत सत्रों की समाप्ति से पूर्व, सदन किसी नियम में संशोधन करने पर सहमत हो जाता है या यह निर्णय लेता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् वह नियम केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी रहेगा अथवा, परिस्थिति के अनुसार, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। परंतु ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण, उस नियम के अंतर्गत पहले से किए गए या न किए गए किसी भी कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।
19. (1) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, वर्तमान में प्रवर्तित किसी भी अन्य कानून, या किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्रभावी किसी समझौते अथवा अन्य दस्तावेज़ में निहित किसी भी असंगत प्रावधान के बावजूद, प्रभावी होंगे।
- (2) उपधारा (1) में किए गए प्रावधान को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान वर्तमान में प्रवर्तित किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल या उन्हें कमज़ोर करने वाले।
- अन्य विधियों का प्रभाव
20. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग
- प्रत्यायोजन

किए जाने वाले किसी भी अधिकार या संपादित किए जाने वाले किसी भी कार्य को, अधिसूचना में निर्दिष्ट विषयों तथा शर्तों के अधीन, उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग या संपादित किया जा सके।

21. (1) इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में सद्भावना (Faith) से किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य अथवा जारी किए गए किसी आदेश के संबंध में, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधानित किए जाने के अतिरिक्त, इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सद्भावना में किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य अथवा जारी किए गए किसी आदेश से उत्पन्न हुई या होने की संभावना वाली किसी भी क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

22. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होने वाली ऐसी व्यवस्थाएँ कर सकती है, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।

परंतु इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं बनाया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस धारा के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

एच.पी.एस. महल
सचिव, पंजाब सरकार
कानूनी एवं विधायी कार्य विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2261(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012 (Punjab Act No. 2 of 2013) (hereinafter referred to as the principal Act) to the Union territory of Chandigarh from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely:—

1. This Act may be called the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012 (Extension to Chandigarh).
2. In the principal Act, save as otherwise expressly provided hereunder:—
 - (a) for the words "State", "Punjab", "State of Punjab", wherever they occur, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
 - (b) for the words "State Government", "Government", "Government of Punjab in the Department of Home Affairs and Justice", wherever they occur, the words "Administrator" shall be substituted;
3. In the principal Act, in section 1, in sub-section (2), for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.
4. In the principal Act, in section 2,—
 - (a) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before the clause so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

‘(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;
 - (b) in clause (aa) as so renumbered, for the words and figures "section 415 and includes cheating by personation as specified in section 416 of the Indian Penal Code, 1860", (Central Act 45 of 1860)" the words and figures "section 318 and includes cheating by personation as specified in section 319 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" 45 of 2023" shall be substituted.
5. In the principal Act, in section 18, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and, if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.”.
6. In the principal Act, in section 22, in sub-section (2), for the words "Legislative Assembly", the word "Parliament" shall be substituted.

[F.No.U-11015/2/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

PART-I
DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS,
PUNJAB
NOTIFICATION

The 4th January, 2013

No. 2-Leg./2013.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 4th January, 2013, is hereby published for general information:-

THE PUNJAB PREVENTION OF HUMAN SMUGGLING ACT, 2012

(Punjab Act No. 2 of 2013)

AN

ACT

to provide for the regulation of the profession of travel agents with a view to check and curb their illegal and fraudulent activities, and malpractices of the person involved in the organized human smuggling in the State of Punjab and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. In this Act, unless context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “cheating” shall have the same meaning as assigned to it in section 415 and includes cheating by personation as specified in section 416 of the Indian penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860);
 - (b) “competent authority” means an officer appointed by the State Government, by notification, to be the competent authority for the purpose of this Act;
 - (c) “dependent” means any person, who is related to an emigrant and is also dependent on that emigrant;
 - (d) “device” means any machinery or instrument that may be used or intended to be used for the purpose of forging or counterfeiting any document, passport, visa, entry permit or travel ticket;
 - (e) “document” means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of these means, intended to be used or which may be used, as evidence of that matter;
 - (f) “emigrant” means any citizen of India, who intends to emigrate or emigrates or has emigrated, but does not include,-
 - (i) a dependent of an emigrant, whether such dependent accompanies that emigrant, or departs subsequently for the purpose of joining that emigrant in the country to which that emigrant has lawfully emigrated; and
 - (ii) any person, who has resided outside India for a minimum period of three years after attaining the age of eighteen years or his spouse or child;
 - (g) “human smuggling” shall mean and include illegally exporting, sending or transporting persons out of India or any type of facilitation thereto by receiving money from them or their parents, relatives or any other person interested in their welfare, by inducing, alluring or deceiving or cheating;
 - (h) “illegally” acquired property” means any property whether movable or immovable, acquired by illegal means by a travel agent in contravention of the provisions of this Act;

- (i) “license” means a license issued by the competent authority under sub-section (2) of section 4 of this Act;
- (j) “Licensees” means a person to whom a license is granted under this Act;
- (k) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (l) “State Government” means the Government of the State of Punjab in the Department of Home Affairs and Justice; and
- (m) “travel agent” means a person doing the profession which involves arranging, managing, or conducting affairs relating to sending persons aboard or which arise out of the affairs of persons sent to a foreign country, except for carrying out the business of recruitment being governed under the Emigration Act, 1983 (Central Act 31 of 1983), and shall include all or any of the following, namely:-
- (a) Processing of applications for or relating to grant of passport or visa; or
- (b) acting as an agent for a company, firm or such type of bodies or entities for-
- (i) selling air travel tickets; and
- (ii) providing means of transportation for travel to a foreign country by land or sea; or
- (c) Providing consultancy visa service or guidance to the persons intending to go abroad for-
- (i) acquiring education;
- (ii) undertaking a pleasure trip as a tourist or traveler;
- (iii) getting medical treatment;
- (iv) arranging cultural entertainment or musical shows;
- (v) spreading or preaching religion; or
- (vi) participating in sports tournaments or events; or
- (d) giving an advertisement or publicity, which relates directly or indirectly to any field of travel to a foreign country by means of publication, transmission, communication or internet; or
- (e) Holding or seminars or delivering of lectures to promote emigration or rendering assistance for such purposes; or
- (f) arranging matrimonial alliances and adoptions for the purposes of emigration; or
- (g) arranging travel of any person from India to abroad for any purpose whatsoever; or
- (h) acting as freelancing type tout for any of the purposes mentioned in clauses (a) to (g).

Regulation of profession of a travel agent.

3. No person shall undertake the profession of a travel agent unless he obtains a license under and in accordance with the provisions of section 4 of this Act.

4. (1) A person, desiring to undertake the profession of a travel agent or who is already in this profession on the commencement of this Act, shall make an application to the competent authority in such manner alongwith such fee and containing such documents as may be prescribed.

(2) If the competent authority is satisfied that the application made under sub-section (1) is in order, it shall issue a license under such terms and conditions and in such form as may be prescribed:

Provided that if the competent authority is satisfied that the particulars given in the application are incorrect or are incomplete or that any evidence or information required for issuing the license is not furnished, it may, after necessary inquiry and after giving the applicant an opportunity of being heard, reject the application for the reasons, to be recorded in writing:

Provided further that the person, whose application has been rejected for grant of license, may make another application to the competent authority for grant of license after removing the defects pointed out by it.

(3) No license shall be issued to a person under sub-section (2), unless the particulars and documents given by him, in his application, are verified by the police.

(4) The validity of a license shall be for a period of five years, which shall be renewable for the said period in such manner, as may be prescribed.

Endorsement of branches or offices.

5. If a person, who has obtained a license under this Act for doing the profession of a travel agent at one place in a district, subsequently opens other branch or office at a place situated in another district, he shall not be required to obtain a fresh license for such other branch or office. However, he shall immediately inform, in writing, to the competent authority and to the District Magistrate of the district concerned, where a new branch or office has been opened and shall obtain an acknowledgement for giving such an information.

6. (1) The competent authority may, on an application made to it by any person or otherwise on information that licensee has,-

Cancellation or suspension of license

- (a) become insolvent or bankrupt; or
- (b) indulged or abetted, directly or indirectly into any act, which is prejudicial to the interest of India or to its security; or
- (c) been convicted by a court for any criminal offence; or
- (d) obtained or got renewed the license on misrepresentation or suppression of any material fact; or
- (e) violated any of the terms and conditions of the license; or
- (f) allowed any other person to do the profession of travel agent from his premises or under his name; or
- (g) failed to do the profession of travel agent for a continuous period of three months, cancel the license:

Provided that before cancellation of license a show cause notice to the licensee to explain his position within seven days from the receipt of notice as to why his license should not be cancelled shall be issued.

Explanation.- For the purpose of clause (f), the expression 'premises' shall mean any building, tent, vessel, land structure, shop, booth, vehicle, boat or raft, used as human dwelling or for any other activity by a human being.

(2) If the license is cancelled for the reason mentioned in clause (c) of sub-section (1) and the conviction is set aside by the appellate court, the competent authority may restore the license to the licensee suo-moto or on an application made in this regard.

(3) Where the competent authority, for the reasons to be recorded, in writing, is satisfied that the question of cancellation of any license on any of the grounds mentioned in sub-section (1), is pending with it for consideration, it may be an order, in writing, suspend the operation of the license for such period not exceeding ninety days, as may be specified in the order. The licensee shall be required to show cause within a period of fifteen days from the date of receipt of such order as to why the period of suspension of license may not be extended till the question of cancellation of license is decided by the competent authority.

(4) Before passing an order of cancellation or suspension of a license, the competent authority shall consider the matter keeping in view the interests of the emigrants and may pass such order, as it may deem appropriate.

(5) Except as otherwise provided under this Act, where a license issued to any person has been cancelled, such person shall be debarred from undertaking the profession of a travel agent.

Travel agent to inform the competent authority.
Surrendering of license.

7. If any travel agent wants to give advertisement or publicity with regard to his profession or to hold seminar in respect thereof, he shall have to inform the competent authority, in writing, by giving complete details or contents thereof.

8. (1) A travel agent may surrender his license at any time after its issuance by giving two months' notice to the competent authority and on the expiry of the notice period, the license shall be deemed to have been cancelled.

(2) The fact of cancellation of license under sub-section (2) shall be published by the competent authority in two daily newspapers having wide circulation in the locality concerned.

(3) On the cancellation of license, the travel agent shall not be entitled to refund of fee deposited by him at the time of submitting his application for obtaining license.

Appeal against order of the competent authority.	(4) Notwithstanding the cancellation of license under this section, the travel agent shall be liable for his acts, omission and commissions prior to the date of cancellation of the license and he shall be proceeded against as per the provisions of this Act.	Power to search seizure of conveyance, place and arrest of persons.
	9. Any person, aggrieved by an order passed by the competent authority rejecting application for grant of license or to comply with any term or condition of the license or suspending or cancelling or refusing to renew the license or any other order, may prefer an appeal against such order to the Principal Secretary to Government of Punjab, Department of Home Affairs and Justice, within such period, as may be prescribed.	
	10. If any Executive Magistrate not below the rank of Sub-Divisional Magistrate or Gazetted police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or any other officer authorized in this behalf by a special order by the State Government has reason to believe from his personal knowledge or upon information given to him by any person and taken down, in writing, that any document in respect of which an offence punishable under this Act has been committed or any document or other article, which may furnish evidence of commission of such offence, is kept or concealed in any building, conveyance or place, he may, at any time-	
	<ul style="list-style-type: none"> (a) enter into and search any such building, conveyance or place; (b) Break open any door or window of any house and remove any obstacle to such entry in case of any resistance; (c) seize any document or substance or material used for fabrication of any document which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act and any other document or article which he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of any offence punishable under this Act; and (d) detain and search, and if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed any offence punishable under this Act. 	
	11. A Police officer, not below the rank of a Deputy Superintendent of Police, shall conduct investigation, which shall be completed by him within a period of two months from the date of information given to him by any person. The police officer of the rank of Superintendent of Police shall verify the investigation conducted by the investigation officer. An officer, not below the rank of Senior Superintendent of Police shall act as Nodal officer for all the investigations to be made under this Act.	Power of investigation.
	12. In the trial of offences under this Act, the court shall decide that any illegally acquired property, whether moveable or immovable, is liable to be confiscated or not and if it decides that the property is so liable, it may order confiscation of that property in the prescribed manner.	Procedure in making confiscation.
Penalties.	13. (1) Whoever, contravenes the provisions of this Act or keeps or uses the device for human smuggling, shall be punished with imprisonment for a period not less than three years, which may extend to seven years and with fine which may extend to five lakh rupees.	
	(2) Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or cause such offence to be committed and in such attempt, does any act towards the commission of the offence, shall be liable to punishment specified for the commission of the offence under this Act.	
	(3) Whoever abets or is a party to a criminal conspiracy to commit any offence punishable under this Act, shall, if that offence be not committed in consequence of such abetment or criminal conspiracy, be punished with punishment for a term, which may extend to one fourth part of the longest term and with fine provided for such offence under this Act.	
	(4) Whoever, having been convicted of an offence under any provision of this Act, is again convicted of an offence under the same provision, shall be punishable, for the second, and for each subsequent offence, with double the penalty, provided for the offence.	
Awarding of compensation.	14. In addition to imposing any penalty, as provided in section 13, the court may also award a reasonable amount of compensation to the aggrieved person to be paid by the travel agent.	

Offences by companies.

15 (1) If the person committing any offence punishable under this Act is a Company, every person, who at time of commission of the offence, was in-charge of, and responsible to the Company for the conduct of its business, as well as the Company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act, has been committed by a Company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of any Director, Manager, Secretary any other officer of the Company, such Director, Manager, Secretary or other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. – For the purpose of this section-

(a) “Company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “Director” in relation to a firm means a partner in the firm.

16. Whoever gives to any public servant any information, which he knows or believes to be false, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, such public servant –

False information, with intend to cause public servant to use his lawful power or authority to the injury of another person.

(a) to do or omit anything which such public servant ought not do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known to him; or

(b) to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months and with fine.

17. The punishment for an offence under this Act, shall be without prejudice to any other action, which has been or which may be taken under this Act, with respect to such offence.

Punishment to be without prejudice to any other action.

18. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) prescribing the manner, fee and documents under sub-section (1) of section 4;

(b) prescribing the form of license under sub-section (2) of section 4;

(c) prescribing the manner of renewal of license under sub-section (4) of section 4;

(d) Prescribing the manner for confiscation of property under section 12; and

(g) any other matter which have to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees, that the rule

Effect of other laws.	<p>should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.</p> <p>19. (1) The provisions of this Act and the rules made thereunder, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any agreement or other instrument having effect by virtue of any other law.</p> <p>(2) Save as provided in sub-section (1), the provisions of this Act, shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.</p>	
Delegation.	<p>20. The State Government may, by notification, direct that any power or function, which may be exercised for performed by it or by the competent authority under this Act or the rules made thereunder may, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, be also exercised or performed by any officer or authority subordinate to it, as may be specified in that notification.</p>	
Protection of action taken in good faith.	<p>21. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything, which is done or intended to be done or order issued in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rule made thereunder.</p> <p>(2) Save as otherwise expressly provide under this Act, no suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything done or intended to be done or order issued in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.</p> <p>22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty: Provided that no order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.</p> <p>(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.</p>	Power to remove difficulties.

H. P. S. MAHAL,
Secretary to Government of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2262(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, पंजाब मानव तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) (जिसे इसके पश्चात 'मूल अधिनियम' कहा गया है) का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मानव तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (चंडीगढ़ तक विस्तारित) है।
2. पंजाब मानव तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथा विस्तारित) में, जब तक कि इसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो :-

- (i) धारा 2 में "पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम, 2012" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम 2012 (चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ii) (क) "राज्य", "पंजाब", "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) "राज्य सरकार", "सरकार", "पंजाब सरकार गृह कार्य और न्याय विभाग में" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. यू. -11015/2/2025-यू टी एल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), दिनांक 23 मई, 2014

(ज्येष्ठ 2, 1936 साका)

भाग-I

कानूनी एवं विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

दिनांक 23 मई, 2014

संख्या 11-विधि./2014— पंजाब राज्य की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को 7 मई, 2014 को पंजाब के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम

(संशोधन) अधिनियम, 2014

(पंजाब अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2014)

पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में पंजाब राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मानव तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
- (2) यह अधिनियम तत्काल प्रवृत्त होगा।
- पंजाब मानव तस्करी निवारण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, दीर्घ शीर्षक में, जहाँ-जहाँ शब्द "पंजाब मानव तस्करी निवारण" प्रयुक्त हैं, उनके स्थान पर शब्द "पंजाब यात्रा वृत्तिक विनियमन" रखे जाएंगे।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

पंजाब अधिनियम 2013 का 2 के दीर्घ शीर्षक में संशोधन।

3. मूल अधिनियम की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में, शब्द “यात्रा अभिकर्ता” के स्थान पर शब्द एवं चिह्न “यात्रा अभिकर्ता, आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान, टिकटिंग अभिकर्ता तथा विमानन कम्पनियों के सामान्य विक्रय अभिकर्ता” रखे जाएंगे। पंजाब अधिनियम 2013 का 2 की प्रस्तावना में संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—“(6) यदि लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, तो जो आवेदन प्रक्रिया में हैं, उनका निस्तारण किया जा सकता है, परंतु कोई भी नया आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा।” पंजाब अधिनियम 2013 का 2 की धारा 6 में संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 7 में, अंत में प्रयुक्त चिह्न “.” के स्थान पर चिह्न “:” रखा जाएगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— पंजाब अधिनियम 2013 का 2 की धारा 7 में संशोधन।
- “परंतु यह कि विज्ञापन के समय यदि लाइसेंस संख्या मुद्रित की गई हो, तो सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।”
6. मूल अधिनियम में विद्यमान धारा 10 को धारा 10 की उपधारा (2) के रूप में पढ़ा जाएगा तथा उपधारा (1) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— पंजाब अधिनियम 2013 का 2 की धारा 10 में संशोधन।
- “(1) जब उपायुक्त को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वह प्रथम दृष्टया स्वयं उसकी जांच कर सकता है या संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त अथवा उप-मंडल मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करवा सकता है।”
7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में, शब्दों एवं चिह्न “कम से कम तीन वर्ष, जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है” के स्थान पर शब्द “जो किए गए अपराध या अपराधों की प्रकृति के अनुसार सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा” रखे जाएंगे। पंजाब अधिनियम 2013 का 2 की धारा 13 में संशोधन।

एच.पी.एस. महल

सचिव, पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2262(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Punjab Prevention of Human Smuggling (Amendment) Act, 2014 (Punjab Act No. 11 of 2014) (hereinafter referred to as the principal Act) to the Union territory of Chandigarh, as in force in the State of Punjab from the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:—

1. This Act may be called the Punjab Prevention of Human Smuggling (Amendment) Act, 2014 (Extension to Chandigarh).
2. In the principal Act, save as otherwise expressly provided hereunder,—
 - (i) in section 2, for the words and figures “the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012”, the words, figures and brackets “the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012 (as extended to the Union Territory of Chandigarh)” shall be substituted;

- (ii) (a) for the words “State”, “Punjab”, “State of Punjab”, wherever they occur, the words “Union Territory of Chandigarh” shall be substituted;
- (b) for the words “State Government”, “Government”, “Government of Punjab in the Department of Home Affairs and Justice”, wherever they occur, the word “Administrator” shall be substituted.

[F.No.U-11015/2/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

PART I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 23rd May, 2014

No.11-Leg./2014.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 7th Day of May, 2014, is hereby published for general information:-

THE PUNJAB PREVENTION OF HUMAN SMUGGLING (AMENDMENT) ACT, 2014

(Punjab Act No. 11 of 2014)

AN

ACT

further to amend the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Punjab Prevention of Human Smuggling (Amendment) Act, 2014. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force at once. | |
| 2. | In the Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012 (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, for the words "THE PUNJAB PREVENTION OF HUMAN SMUGGLING", the words "THE PUNJAB TRAVEL PROFESSIONALS' REGULATION" shall be substituted. | Amendment in the long title of Punjab Act 2 of 2013. |
| 3. | In the principal Act, in the first line of the preamble, for the words “travel agents”, the words and signs “travel agents”, coaching institutes of IELTS, ticketing agents and general sales agents of airlines" shall be substituted. | Amendment in the preamble of Punjab Act 2 of 2013. |
| 4. | In the principal Act, in section 6, after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:- | Amendment in the section 6 of Punjab Act 2 2013. |

- "(6) If the licence is suspended, then applications, which are under process may be processed, but no new application shall be obtained."
5. In the principal Act, in section 7, for the sign "." appearing at the end, the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-
"Provided that at the time of advertisement, if the license number is printed, then prior information need not to be given to competent authority."
6. In the principal Act, the existing section 10 read as sub-section(2) of section 10 and sub-section(1) shall be inserted, namely:-
"(1) When a complaint is received by the Deputy Commissioner in the first instance may verify the same himself or get the same verified from the Additional Deputy Commissioner or Sub-Divisional Magistrate concerned."
7. In the principal Act, in section 13, in sub-section (1), for the words and sign "not less than three years, which may extend to seven years", the words "which may be extended upto seven years depending upon the crime or offences committed" shall be substituted.

H.P.S. MAHAL,

Secretary to Government of Punjab,

Department of Legal and Legislative Affairs.